तारीख हुक्म	मूल दीवानी प्रकरण संख्या 29/2020 श्यामसुन्दर बनाम नगरपालिका नाथद्वारा	
	14.09.2020 :— उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । वादी/प्रार्थी की ओर से दिनांक 11.09.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेज पेश करने बाबत् पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी की पत्नि के बाहर चले जाने के कारण जो दस्तावेज अटैची में रह गये थे व चाबी पत्नि के पास होने से पेश नहीं कर सका तथा दिनांक 11.09.2020 को पत्नि के आने के बाद अटैची से दस्तावेज निकाले गये। उक्त दस्तावेज खनिज अभियंता का कार्यालय आदेश, आराजी नंबर 490 की जमाबंदी की फोटो प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी की फोटो प्रति, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, नक्शा, रॉयल्टी की ई–कॉपी, अखबार की न्यूज की फोटो प्रति, खनिज अभियंता की अवधि वृद्धि प्रमाण पत्र व ज्ञापन की फोटो प्रति हैं जिन्हें वादी पेश करना चाहता है। उक्त दस्तावेज राजकीय होने से इनके फर्जी होने की कोई संभावना नहीं है। अतः दस्तावेज रेकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसके विपरीत विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादी/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी के वादपत्र में उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई अभिवचन नहीं हैं। उक्त दस्तावेज वादी के पास थे तो उनके संबंध में वादपत्र में अभिवचन अवश्य किये जाते। उक्त दस्तावेज न तो प्रमाणित हैं और न ही असल हैं इसलिये ऐसे दस्तावेज रेकॉर्ड पर लिया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर नहीं लिया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उपरोक्त दस्तावेज खनिज अभियंता का कार्यालय आदेश, आराजी नंबर 490 की जमाबंदी की फोटो प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी की फोटो प्रति, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, नक्शा, रॉयल्टी की ई–कॉपी, अखबार की न्यूज की फोटो प्रति, खनिज अभियंता की अवधि वृद्धि प्रमाण पत्र व ज्ञापन की फोटो प्रति हैं तथा इनका वादी/प्रार्थी की पत्नि के बाहर चले जाने एवं अटैची की चाबी पत्नि के साथ चले जाने से अटैची में रह जाने से पेश नहीं हो सकना बताया गया है। हालांकि यह कारण समुचित नहीं है परन्तु अभी पत्रावली तनकियात विरचित किये जाने के प्रक्रम पर होकर प्रारम्भिक स्तर पर है तथा ये दस्तावेज प्रस्तुत होने से प्रतिवादी पक्ष के अधिकारों पर भी कोई विपरीत प्रभाव होने की सम्भावना प्रतीत नहीं है। यद्यपि प्रतिवादी ने विरोधस्वरूप कथन किया है कि उक्त दस्तावेजों के संबंध में वादपत्र में अभिवचन नहीं किये गये हैं, लेकिन इस संबंध में वादपत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादपत्र में आवंटित स्वीकृतशुदा लीज एवं उस पर खनन कार्य के संबंध में तथ्य अंकित किये जाकर इसी अनुक्रम में अनुतोष चाहा गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होने एवं न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक होने का तथ्य प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में 500/— रूपये कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है । पत्रावली वास्ते कायमी तनकियान दिनांक को पेश हो ।	